

0
23-12-10

Santal
3-1-11
Encl-0

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-8,
वाराणसी।

2.12.11
12/11

263
2529
177
Serial No.

3
12/11
14-2-11

सेवा में,

श्रीमान् महा निवन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

Req-123

द्वारा-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषय:- मोटर कार अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 23-3-2002 द्वारा प्रार्थी को मोटर वाहन अग्रिम के रूप में रु0 80,000/- ऋण स्वीकृत हुआ था। प्रार्थी द्वारा माह अप्रैल 2002 के वेतन से प्रारम्भ करके उपर्युक्त धनराशि मय ब्याज सितम्बर 2010 के वेतन से अदा कर दी गई है। इस सम्बन्ध में कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद की तरफ से अदेयता प्रमाणपत्र दिनांकित 9-11-2010 निर्गत हो चुका है।

सूचना माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु श्रीमान्जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक:- 14-12-2010 ई0

सागर

भवनिष्ठ,

Ashok Kumar Yadav
14.12.2010

(अशोक कुमार यादव)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं0-8,

वाराणसी।

3 Serials
J.R.(m)

for information
May 16?

AK Yadav

15/11

15-2-11 A.R.

संलग्नक:-

कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी द्वितीय
उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण
पत्र की छायाप्रति।

Office of the District Judge Varanasi
No. 1690/XV Date. 14.12.2010

Forwarded.

District Judge
Varanasi

6808
S.O. Adm H/A
23/12
J.R.(m)
23-12-10

19
J.R.(m)
23 DEC 2010
15-2-11

कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी द्वितीय उ० प्र० इलाहाबाद ।

सं० जी०ई०-१/गुप -१/ अदेयता प्रमाण पत्र

दिनांक

सेवा में]

1. सचिव नियुक्ति अनुभाग-६ एनैक्सी भवन
उ० प्र० शासन लखनउ
2. सचिव गृह पुलिस सेवायें अनुभाग-२ एनैक्सी भवन
उ० प्र० शासन लखनउ
3. सचिव वित्त सेवायें अनुभाग-२
उ० प्र० शासन लखनउ
4. निबन्धक उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

Reg-123


विषय : श्री अशोक कुमार यादव एच० जे० एस० को स्वीकृत मोटरकार अग्रिम रू० 80000.00 की अदायगी के सम्बन्ध में ।

महोदय]

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि शासनादेश संख्या बी-३-५११(६)/दस-२००२-२०(१२)/२००१मो०वा० उच्च न्यायालय के आदेश संख्या दिनांक 26/Feb/02 के अन्तर्गत स्वीकृत मोटरकार अग्रिम रू० 80000.00 के मूलधन की अदायगी मय ब्याज के इस कार्यालय के अभिलेखानुसार पूर्ण हो चुकी है ।

2. उक्त अग्रिम के विरुद्ध कुछ शेष नहीं है ।

भवदीय



वरिष्ठ लेखाधिकारी


सं० जी०ई०-१/गुप -१/अ० प्र० प०/LI-16931/765

दिनांक ९-११-१०

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनउ ।

2. श्री अशोक कुमार यादव अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं००८ वाराणसी ।


वरिष्ठ लेखाधिकारी
९.११.१०